न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 100/2011

RCMS No. 2011/00090

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
1 खमीयादेवी पुत्री छेलाराम पत्नी जगदीश जाति छीपा दर्जी निवासी बगडी नगर, हाल ब्यावर, जिला अजमेर (मेवाडी गेट सांई का तकीया गली नं. 2 मकान नम्बर 2 ब्यावर		1. ग्राम पंचायत बगडी नगर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बगडी नगर 2. हेमराज 3. श्रवण कुमार पि0 पुखराज जाति छीपा दर्जी 4. गणपतलाल पुत्र लिखमीचन्द जाति छीपा दर्जी निवासीगण बगडी नगर तहसील सोजत जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री सुरेन्द्र कुमार आशिया, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11/5/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, बगडी नगर द्वारा मिसल संख्या 36 दिनांक 15.12.1974, संकल्प संख्या 38 दिनांक 12.09.1976 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 03.10.1976 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण नियत सुनवाई तिथि को वास्ते पैरवी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थीया, छैलाराम की एकमात्र पुत्री है, इस कारण छैलाराम की चल व अचल सम्पति में प्रार्थीया का हक निहित है। छेलाराम का रहवासी मकान ग्राम बगडी में आया हुआ स्थित है, जिसके उत्तर में मोहनलाल घांची का मकान, दक्षिण में भेराराम घांची का मकान, पूर्व में गेनाराम व सुखाराम सीरवी का मकान तथा पश्चिम में आम रास्ता एवं मकान का दरवाजा स्थित है। प्रार्थीया का ससुराल ब्यावर है तथा प्रार्थीया उक्त मकान पर आती जाती है। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के पिता ग्राम पंचायत बगडी नगर में नौकरी करते थे, जिन्होने अपने प्रभाव का अनुचित लाभ प्राप्त करने की नियत से प्रार्थीया के पिता के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

मकान का पट्टा अपने एवं अपने पुत्रों के नाम से जारी करवाया, जो विधि विरूद्ध है, क्योंकि उस समय अप्रार्थी संख्या 2 से 5 नाबालिग थे, जिनके नाम से पट्टा जारी नहीं हो सकता था। ग्राम पंचायत द्वारा बिना आज्ञापक प्रावधानों की पालना के जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्व है। अप्रार्थी श्रवणकुमार द्वारा प्रार्थीया के विरूद्ध एक फौजदारी प्रकरण दायर करवाया, जिसमें प्रार्थीया एवं उसके पति का चालान हुआ, जिसमें दिनांक 25.05.2007 को प्रार्थीया को बरी कर दिया गया। उसके पश्चात प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण पर कब्जे एवं उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी नही करने हेतु सिविल न्यायालय में वाद पेश किया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में विवादित मकान का कब्जा मानते हुए यथास्थिति का आदेश पारित किया, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा पुख्ता किया गया। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट्स द्वारा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के तहत कब्जा प्राप्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया, जिसे खारिज किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, बगडी नगर द्वारा मिसल संख्या 36 दिनांक 15.12.1974, संकल्प संख्या 38 दिनांक 12.09.1976 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 03.10.1976 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर यह स्थिति प्रकट होती है कि अप्रार्थी संख्या 4 के पिता लिखमीचन्द द्वारा अपनी निर्मित भूमि का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 15.12.1974 को ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की जाकर आपत्ति पत्र जारी करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की पालना में मिसल के संलग्न जो आपत्ति इश्तिहार है, का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि उक्त आपत्ति इश्तिहार दिनांक 30.03.1974 को जारी किया गया है।इसके पश्चात दिनांक 13.06.1976 की आदेशिका अनुसार आपत्ति पत्र जारी किया गया, जो दिनांक 08.04.1975 को जारी सुदा शामिल मिसल किया गया, नक्शा पेश करने हेतु प्रार्थी को सूचना जारी करने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात दिनांक 27.06.1976 को नक्शा पेश करने हेतु मोहलत मांगने पर समय दिया गया तथा दिनांक 11.07.1976 को नक्शा पेश किया, जो शा0मि0 किया गया तथा मौतबिरान के बयान हेतु पत्रावली दिनांक 21.08.1976 को पेश करने के आदेश पारित किये। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 22.08.1976 को पेश हुई, जिसमें बयान लिये जाकर नक्शा जांच हेतु पत्रावली दिनांक 29.08.1976 को पेश करने के आदेश पारित किये। इसके पश्चात दिनांक 29.08.1976 को नक्शा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर शा0मि0 की गई तथा सुकराना हेतु मिसल दिनांक 12.09.1976 को पेश करने के आदेश पारित किये। इसके पश्चात दिनांक 12.09.1976 को नियम 266 के तहत 21/- रूपये लिये जाकर पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये। इसके पश्चात दिनांक 03.10.1976 को पट्टा जारी किया गया। मिसल के संलग्न न तो कोई बयानात है तथा न ही पंचों की मौका जांच रिपोर्ट संलग्न है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में आबादी भूमि की बिक्री के प्रावधान वर्णित है। जिसके तहत नियम 256 (1) के तहत इच्छुक व्यक्ति द्वारा क्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं (2) के तहत आवेदन पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा। नियम 256 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जाना। इसके पश्चात नियम 258 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा अपने पंचों में से किन्ही तीन पंचों को वांछित स्थल के निरीक्षण हेतु मनोनीत करती है, जो पंच अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करते है। पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नियम 259 के तहत पंचायत बैठक में प्रस्तावित भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में पंचायत अस्थाई रूप से निर्णय पारित करेगी। इसके पश्चात नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में एक माह का आपत्ति आमन्त्रित करेगी। इसके पश्चात नियम 261 के तहत आपत्तियों का निस्तारण किये जाने तथा नियम 262 के तहत भूमि के नीलामी के प्रावधान है। इसके पश्चात नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनर्विक्रय के प्रावधान वर्णित है। नियम 264 में नीलामी की प्रक्रिया तथा नियम 265 में नीलाम की पुष्टि प्रावधित है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान है। नियम 267 में भूमियों का निःशुल्क आवंटन तथा नियम 267 (क) के तहत विस्थापितों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन के नियम प्रावधित है।

हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 256 (2), 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265 में निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं की गई तथा न ही प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की गई, जिसके कारण प्रकरण में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, बगडी नगर द्वारा मिसल संख्या 36 दिनांक 15.12.1974, संकल्प संख्या 38 दिनांक 12.09.1976 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 03.10.1976 को अपास्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत बगडी नगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 11/5/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली